कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/ 2232/डी0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2018 इन्दौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

प्रति,

1/	आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.	2/	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर.
3/	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	4/	मुख्य चिकि. एवं स्वा. पदाधिकारी, इन्दौर.
5/	महाप्रबंधक, दूरसंचार विभाग (बी.एस.एन.एल.) इन्दौर.	6/	अधीक्षण यंत्री(सिटी/ग्रामीण सर्कल) म0प्र0प0क्षे0वि0वि0कं0लि0,इन्दौर
7/	कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला इन्दौर.	8/	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला इन्दौर.
9/	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.,संभाग क्र.1/2/ई एंड एम, इंदौर	10/	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन.पंचा.सांवेर/देपालपुर/महू/इन्दौर.
11/	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, इन्दौर.	12/	स्टेशन अधीक्षक, रेल्वे, इन्दौर.
13/	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सांवेर/देपालपुर/महू/इन्दौर .	14/	कार्यपालन यंत्री, म0प्र0गृह निर्माण मंडल, इन्दौर.
15/	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सांवेर/देपालपुर/महू/इन्दौर.	16/	विकास खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी, सांवेर/देपालपुर/महू/इन्दौर.
16/	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्दौर	17/	डिवीजनल मैनेजर, म0प्र0राज्य सड़क विकास निगम, इन्दौर.
17/	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, गौतमपुरा/सांवेर/देपालपुर/हातोद, महूगांव, राउ, मानपुर, बेटमा.		

विषय :- सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम हेतु कार्यवाही किये जाने विषयक ।

000

निर्वाचन अयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि चुनाव अभियान के दौरान भवन व मालिक की लिखित अनुमति लिये बिना निजी व सार्वजनिक भवनों पर पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने

आदि करके विरूपित करने वाले राजनैतिक दल/संघ/निकाय/अभ्यर्थी या उनके कार्यकर्ता/समर्थक के विरुद्ध सम्पत्ति विरुपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावे ।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक भवनों में सार्वजनिक सम्पत्ति में जैसे राजपथ या सड़कों, महत्वपूर्ण चौराहों, सार्वजनिक मार्ग के मील के पत्थरों, रेल्वे लेवल क्रासिंग पर लगे हुवे सूचना पट्ट, रेल्वे प्लेटफार्म की पट्टिकायें, बस स्टेण्ड पर मार्ग निर्देश बताने वाले साईन बोर्ड या सर्व साधारण की सुविधा के लिए प्रदर्शित किये गये साईन बोर्ड भी शामिल हैं ।

मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरुपण निवारण अधिनियम 1994 की छाया प्रति संलग्न है । मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरुपण निवारण अधिनियम की धारा 3 का उद्धरण सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्नानुसार है :-

"कोई भी, जो सम्पत्ति के स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा"

अतएव आप क्षेत्र का भ्रमण कर, विशेष रूप से दीवारों या सार्वजनिक व निजी भवनों पर निर्वाचन पोस्टरों, नारों के लिखने, निर्वाचन प्रतीक चिन्हों आदि से रंगने से हुवे विरुपण के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर, यह निश्चित करावेंगे कि क्या इन विरुपणों को भवन स्वामी की विशिष्ट अनुमति प्राप्त है । यदि अनुमति नहीं ली गई है तो आयोग के निर्देशानुसार विरुपण की समाप्ति की कार्यवाही की जावे । यदि आवश्यक हो तो ऐसे सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन प्रारम्भ किया जावे, जो इसके लिए उत्तरदायी है ।

शासकीय भवन, बिजली-खम्भे, टेलीफोन-खम्भे, राजपथ या सड़कों, महत्वपूर्ण चौराहों, सार्वजनिक मार्ग के मील के पत्थरों, रेल्वे लेवल क्रासिंग पर लगे हुवे सूचना पट्ट, रेल्वे प्लेटफार्म की पट्टिकायें, बस स्टेण्ड पर मार्ग निर्देश बताने वाले साईन बोर्ड या सर्व साधारण की सुविधा के लिए प्रदर्शित किये गये साईन बोर्ड पर यदि सम्पत्ति विरुपण किसी भी राजनैतिक दल या व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो सम्बन्धित विभाग के स्थानीय अधिकारी थाने में मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरुपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-3 के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज करवायेंगे एवं धारा-5 के तहत लिखावट आदि मिटाने की कार्यवाही कर, उस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति को दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलने की कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से प्रति सप्ताह (सोमवार) विहित प्रारूप में अवगत कराया जावेगा । यदि जानकारी निरंक हो तो भी इसकी जानकारी यथासमय दी जावेगी ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि बाद में किसी भी समय यह सिद्ध होता है कि किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित किसी उम्मीदवार ने निजी या सार्वजनिक किसी भूमि, भवनों, परिसर, दीवार आदि का उपयोग स्वामी/अध्यासी की अनुमति के बिना किया है तो आयोग सम्बन्धित

कलेक्टर
जिला इन्दौर

भी

राजनैतिक दल के विरूद्ध कार्यवाही सहित सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही करेगा, जो उपयुक्त होगी ।

यदि यह पाया जाता है कि सम्पत्ति विरूपण किसी दल/व्यक्ति द्वारा किया गया है तो उसे अपने स्वयं के व्यय पर सफैदी करवाना होगा । किसी विरूपण के सम्बन्ध में जिम्मेदारी तय न होने की दशा में उक्त विरूपण को तत्काल समाप्त करते हुए पृथक से विरूपणकर्ता के विरूद्ध जाँच कर, पहचान की कार्यवाही की जावेगी । सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर पुलिस अधीक्षक अपने-अपने क्षेत्र का सतत् भ्रमण एवं निगरानी करेंगे तथा यदि कहीं विरूपण समाप्त किये जाने की कार्यवाही नहीं की जा रही हो तो जिम्मेदारी का निर्धारण करते हुए कार्यालय को तत्काल सूचित करेंगे ताकि दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके । अतएव उपर्युक्त निर्देशों के तहत कार्यवाही करें तथा जानकारी तत्काल इस कार्यालय में प्रेषित की जाये ।

संलग्न :- मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम,
1994 की छाया प्रति.

(निशांत वरवड़े)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

URGENT

पृ0क्रमांक/ 2233 /री0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2018 इन्दौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि :-

1. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर ।
2. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
3. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर ।
4. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/ग्रामीण/यातायात, इन्दौर ।
5. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सेन्ट्रल कोतवाली/मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/खुड़ैल/कम्पेल/महू/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर ।
6. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हागंज/अन्नपूर्णा/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गांधी नगर/खजराना ।
7. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), महू/सांवेर/देपालपुर ।
8. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
9. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
10. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
11. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रुम, इन्दौर ।
12. थाना प्रभारी, थाना .... जिला इन्दौर ।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत: अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ सन् ... पी.

रजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 मई 1995—ज्येष्ठ 6, शके 1917

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 मई 1995

क्र. 5023-इक्कीस-अ (प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 22 मई, 1995 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक-२० सन् १९९५

मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, १९९४.

[दिनांक २२ मई, १९९५ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २७ मई, १९९५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

संपत्ति के विरूपण के निवारण के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, १९९४ है. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार